

तहसील दिवस के आयोजन के संबंध में समीक्षा आख्या

मेरे द्वारा तहसील बासडीह (बलिया) में आयोजित तहसील दिवस में भाग लिया गया। तहसील, रसडा (बलिया) में मुख्य राजस्व अधिकारी, बलिया तथा शेष अन्य तहसीलों में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील दिवस आयोजित की गई।

तहसील बासडीह, बलिया में आयोजित तहसील दिवस के दौरान प्रस्तुत उपस्थिति पंजिका का परीक्षण करने जिला विद्यालय निरीक्षक, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य अभिकरण, सहायक परियोजना निदेशक डूडा, उपायुक्त जिला उद्योग बलिया, अधिशासी अभियन्ता बाढ़ एवं प्रबन्धक, दुग्ध केन्द्र बलिया अनुपस्थित रहे। शेष सभी अधिकारीगण उपस्थित पाये गये। प्रभारी अधिकारी तहसील दिवस, अनुपस्थित अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये।

तहसील में आयोजित तहसील दिवस के संबंध में बनाई गई उपस्थिति पंजिका के अवलोकन से पाया गया कि उपस्थिति पंजिका का रख-रखाव शासनादेश के निर्देशों के अनुरूप जिला स्तरीय व तहसील स्तरीय अधिकारियों के अलग-अलग अनुरक्षित किये गये हैं, जिसमें जिला स्तरीय एवं तहसील स्तरीय अधिकारियों के हस्ताक्षर प्राप्त किये जा रहे हैं।

तहसील दिवस दिनांक 21.12.2016 में कुल 168 आवेदन पत्र प्राप्त हुये, जिन्हे सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को पृष्ठांकित करके मौके पर जांच करते हुये निस्तारण आख्या उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध कराये गये तथा इनमें से 26 आवेदन पत्रों का निस्तारण तुरन्त मौके पर कराया गया। संबंधित प्रार्थना पत्रों में आवेदक या उसके सम्पर्क मोबाइल नं० यथासम्भव अंकित कराया जाना पाया गया। तहसील दिवस सन्दर्भ पंजिका अद्यावधिक पायी गयी।

गत तहसील दिवस में प्रस्तुत आवेदन पत्रों के निस्तारण समीक्षा में जो तथ्य प्रकाश में आये उसके अनुसार तहसील बासडीह में गत तहसील दिवस से सम्बन्धित 10 सन्दर्भों का निस्तारण होना अवशेष पाया गया। यह स्थिति नितान्त आपत्तिजनक है। उप जिलाधिकारी बासडीह को आदेशित किया गया कि वे लम्बित रखने वाले सम्बन्धित अधिकारी को 03 दिन के अन्दर निस्तारण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित करें तथा भविष्य में प्रार्थना पत्रों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना भी सुनिश्चित करें।

तहसील दिवसों को प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों को संबंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार की देख-रेख में छाया प्रति कार्यालयमें रखते हुए मूल प्रति संबंधित अधिकारी की प्राप्त कराये जा रहे हैं तथा प्राप्ति स्वरूप उनके हस्ताक्षर भी पंजिका में प्राप्त किये जा रहे हैं। आवेदन पत्रों के कम्प्यूटर में फीड करने के सम्बन्ध में जानकारी करने पर बताया गया कि तहसील दिवस के आयोजन के बाद उसी दिन पारूप 5 व 6 पर सूचना भरने तथा प्रार्थना पत्रों को कम्प्यूटर में फीड कराने व वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही तहसील स्तरीय अधिकारी द्वारा कराये जाते हैं और निस्तारण आख्याओं को भी ससमय इन्टरनेट पर अपलोड कराये जाते हैं। तहसील दिवस पर निरक्षर/अनपढ़ एवं विकलांग व्यक्तियों के आवेदन पत्र लिखने हेतु तहसील लिपिक की तैनाती की गयी थी, जिनके द्वारा निरक्षर/अनपढ़ एवं विकलांग आवेदकों के आवेदन पत्र लिखने में तहसील लिपिक की तैनाती की गयी थीं जिनके द्वारा अपेक्षित सहयोग किया जाना पाया गया।

. तहसील दिवस में भूमि विवाद एवं पट्टा/आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने सम्बन्धी शिकायतें भी प्राप्त हुई, जिसके दृष्टिगत तहसीलदार/उप जिलाधिकारी को विगत वर्षों में किये गये पट्टे की भूमि पर पट्टेदार के कब्जा होने का निरीक्षण/सत्यापन अभियान चलाकर करने एवं इसकी सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए । इसके अलावा भूमि विवाद एवं भूमि पैमाइश की भी शिकायतें प्राप्त होने के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी/तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि भूमिधरों की पैमाइश के सम्बन्ध में धारा 41 भू-राजस्व अधिनियम के लम्बित प्रकरणों को अभियान चलाकर निस्तारण सुनिश्चित कराये । शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से भूमि विवाद का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना अतिआवश्यक है। तहसीलदार बासडीह को निर्देशित किया गया कि सभी आवेदन पत्रों को कम्प्यूटर में फीड करके प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकतानुसार पुलिस बल से सहयोग प्राप्त कर भूमि विवाद का निस्तारण सुनिश्चित कराये एवं इसकी प्रति सप्ताह समीक्षा क्षेत्राधिकारी के साथ किये जायं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत ग्राम आदर कोटेदार द्वारा अनियमितता बरतने सम्बन्धी शिकायतों के दृष्टिगत उप जिलाधिकारी, बासडीह, बलिया को निर्देशित किया गया कि प्रकरण की विस्तृत जांच करके शिकायत की पुष्टि होने पर उनके विरुद्ध शासनादेशानुसार निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही सहित अन्य वैधानिक कार्यवाही किये जायें तथा उसके अंतिम निस्तारण की प्रति शिकायतकर्ता को भी उपलब्ध करायी जायं।

सागान्य: तहसील दिवस के दौरान कार्य समीक्षा के दौरान तहसील बासडीह का भूमि आवंटन एवं आपूर्ति व्यवस्था का कार्य संतोषजनक नहीं रहा है, जिस हेतु उप जिलाधिकारी बासडीह को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

(गोविन्द राजू एन0एस0)
जिलाधिकारी, बलिया।

संख्या-330/आ0ले0जि0-तह0दिवस दिनांक :दिसम्बर 22, 2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, अनुभाग-12, लखनऊ
2. आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
3. पुलिस अधीक्षक, बलिया।
4. मुख्य विकास अधिकारी, बलिया।
5. मुख्य राजस्व अधिकारी/प्रभारी अधिकारी तहसील दिवस।
6. अपर जिलाधिकारी (वि/रा), बलिया।
7. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, बासडीह, बलिया।
8. DIO (MTC) इन्दौर हेतु।

(गोविन्द राजू एन0एस0)
जिलाधिकारी बलिया।